कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

13/9/23
समक्ष
कुमार

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित। अप्रार्थी सं. 2 अनुपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी वित्तीय संस्था प्रत्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं चाहते हैं एवं प्रकरण विथड्रॉ करना चाहते हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विथड्रॉ का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विचाराधीन प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट 2002 इसी स्टेज पर निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द. हो।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.09 11:03:36 IST
Reason: SelfAttested